कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 282/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 19.07.2026

थाना- रौनापार, जनपद- आजमगढ़

नाबालिक को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने तथा फोटो-वीडियो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 18.07.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दिया गया कि उसकी भांजी का मोबाइल नम्बर उसकी सहेली ने अपने मामा विशाल पुत्र अज्ञात को दिया और विशाल उपरोक्त ने वादी की भांजी को विद्यालय जाते समय रास्ते से भगाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने लगा जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 205/2026 धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट बनाम विशाल पुत्र अज्ञात पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार** के निर्देशन में मिशन शक्ति के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.07.2026 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल गुप्ता पुत्र महेन्द्र मद्देशिया निवासी ग्राम फरसरा खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को बघावर तिराहे से समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 205/26 धारा धारा 65(10/351(3) बी.एन.एस. व ¾(2) पाक्सों एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- विशाल गुप्ता पुत्र महेन्द्र मद्धेशिया निवासी ग्राम फरसरा खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र 20 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष रौनापार सुनील कुमार दूबे, का0 उमेश सिंह, रि0का0 आर्यन द्विवेदी, रि0म0का0 प्रिया कुशवाहा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

08 चोरी की ई-रिक्शा एवं 36 बैटरियां बरामदगी प्रकरण में बरामद ई-रिक्शा वाहन स्वामियों को सुपुर्द, वाहन पाकर स्वामियों ने आजमगढ़ पुलिस का जताया आभार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस, विशेष अपराध नियंत्रण टीम, चोरी अनावरण टीम एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में बरामद की गई 08 चोरी की ई-रिक्शाओं को आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत संबंधित वाहन स्वामियों को सुपुर्द किया गया।

अपनी चोरी हुई ई-रिक्शा वापस प्राप्त कर वाहन स्वामियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सभी ने आजमगढ़ पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की सराहना करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सहित पूरी पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। वाहन स्वामियों ने कहा कि पुलिस की सक्रियता और पेशेवर जांच के कारण उन्हें उनका आजीविका का प्रमुख साधन पुनः प्राप्त हो सका।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा आमजन की संपत्ति की सुरक्षा एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई का अभियान निरंतर जारी है।

थाना- तहबरपुर, जनपद- आजमगढ़

गौ-तस्करी गिरोह पर तहबरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 22 मृत व 3 जीवित गौवंश मिलने के चर्चित प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी पुलिस गिरफ्त में

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 03/04 जून 2025 की रात्रि में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना तहबरपुर पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त एवं चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 228.5 पर एक 14 टायर ट्रक संख्या **UP 51 AT XXXX** खड़ा है, जिसमें बड़ी संख्या में गौवंश लदे हुए हैं तथा ट्रक से तेज दुर्गंध आ रही है। सूचना पर तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल एवं पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाया गया।

पुलिस द्वारा ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें कुल **25 गौवंश** पाए गए, जिनमें **22 गौवंश मृत** एवं **03 गौवंश जीवित** थे। पशु चिकित्साधिकारी द्वारा मृत गौवंशों का पोस्टमार्टम एवं जीवित गौवंशों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। मृत गौवंशों का नियमानुसार दफन कराया गया तथा जीवित गौवंशों को सुरक्षित गौशाला भेजा गया। ट्रक को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज करते हुए थाना तहबरपुर पर **मु0अ0सं0- 124/2025** धारा **3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं धारा 325 भारतीय न्याय संहिता** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान **नरेन्द्र कुमार मिश्रा** (वाहन स्वामी) **बुद्धराज पासवान, बरकत, नरेन्द्र कुमार मिश्रा तथा आकाश मिश्रा उर्फ विशाल** के नाम प्रकाश में आए।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्तगण आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से संगठित रूप से अवैध गौ-तस्करी का अपराध करते थे। गिरोह की गतिविधियां अंतरजनपदीय स्तर तक फैली हुई थीं तथा इनके भय एवं आतंक के कारण सामान्य नागरिक इनके विरुद्ध शिकायत या गवाही देने का साहस नहीं कर पाते थे। इस आधार पर गिरोह के विरुद्ध **उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986** के अंतर्गत गैंगचार्ट तैयार कर अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा थाना तहबरपुर पर **मु0अ0सं0- 113/2026** धारा **2(ख)(xvii)/3(1) गैंगस्टर एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक **19 जुलाई 2026** को थाना तहबरपुर पुलिस टीम द्वारा **महुआर तिरंगा तिराहा** से गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त 1- **आकाश मिश्रा उर्फ विशाल** एवं 2- **नरेन्द्र कुमार मिश्रा** को समय करीब **09:00 बजे** प्रातः गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से **02 मोबाइल फोन** बरामद हुए। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आकाश मिश्रा उर्फ विशाल पुत्र नरेन्द्र कुमार मिश्रा, निवासी ग्राम फूलपुर हारिपुर, थाना इब्राहिमपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।
2. नरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र भीष्म मिश्रा, निवासी ग्राम फूलपुर हारिपुर, थाना इब्राहिमपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।

बरामदगी-

- 02 अदद मोबाइल फोन

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 113/2026, धारा 2(ख)(xvii)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

नरेन्द्र कुमार मिश्रा

- मु0अ0सं0 124/2025, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं धारा 325 भारतीय न्याय संहिता, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

आकाश मिश्रा उर्फ विशाल

1. मु0अ0सं0 178/2020, धारा 232, 325, 504, 506 भादवि, थाना इब्राहिमपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।
2. मु0अ0सं0 124/2025, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं धारा 325 भारतीय न्याय संहिता, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 लालबहादुर प्रसाद सिंह, थाना तहबरपुर
- का0 मिथिलेश शाह
- का0 चन्द्रशेखर शाह

थाना- बरदह, जनपद- आजमगढ़

फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर दो बार पासपोर्ट बनवाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अलग-अलग जन्मतिथि वाले कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर पासपोर्ट प्राप्त करने का मामला, बरदह पुलिस की त्वरित कार्रवाई

पूर्व की घटना/इतिहास–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद आजमगढ़ में शासकीय अभिलेखों एवं पहचान संबंधी दस्तावेजों के दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बरदह पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक **18.07.2026** को उपनिरीक्षक **रविन्द्र कुमार भारती** द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि **मोहम्मद किरमान पुत्र लालमोहम्मद निवासी रसूलपुर तुंगी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़** ने अलग-अलग कूटरचित (फर्जी) शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, जिन पर भिन्न-भिन्न जन्मतिथि अंकित थी, का प्रयोग कर दो बार पासपोर्ट बनवा लिया। प्रथम दृष्टया मामला सत्य पाए जाने पर थाना बरदह पर **मु0अ0सं0- 249/2026** धारा **419, 420, 467, 468, 471 भादवि एवं 12(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम, 1967** के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक **19.07.2026** को उपनिरीक्षक अम्बुज कुमार राही मय पुलिस टीम ने अभियुक्त **मोहम्मद किरमान पुत्र लालमोहम्मद** निवासी रसूलपुर तुंगी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को **खराट नहर पुलिया** के पास से समय **11:50 बजे** गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई के उपरांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

मोहम्मद किरमान पुत्र लालमोहम्मद, निवासी – रसूलपुर तुंगी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र – 39 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास–

मोहम्मद किरमान पुत्र लालमोहम्मद निवासी रसूलपुर तुंगी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 249/2026, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि एवं 12(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम, 1967।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 **अम्बुज कुमार राही**, का0 **निखिल गुप्ता**, का0 **संदेश मौर्या**, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।